



ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसियेशन(रजि.)

10, वरदान हाउस, प्रथम तल, चाबीगंज

कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110 006

दूरभाष : 23967505, 23948000

शंकरलाल अग्रवाल
चुनाव आयुक्त, अपमा
सत्र 2018-2020

मै0 गंगानगर ऑटोमोबाइल्स
2799, बड़ा बाजार
कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006.
फोन : कार्यालय : 23961269, 9810063777

सभी सम्माननीय सदस्य, अपमा

सरकूलर नं0 : 01

दिनांक :

11-07-2018

अपमा / चुनाव 2018-2020

अपमा चुनाव - 2018-2020

अपमा का इतिहास रहा है कि इसने सदैव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया है और इसी दिशा में अपने कर्तव्य की पालना करते हुए अपमा के अध्यक्ष श्री आर.के. गुप्ता जो एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी ने चुनाव सम्पन्न करवाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपमा प्रधान एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी का जिन्होंने मुझमें अपना विश्वास जताया और मुझे इस पद के योग्य समझकर मनोनोत किया।

मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा अपने साम्थर्य के अनुरूप भरसक प्रयास रहेगा कि अपमा चुनाव 2018-2020 जल्द से जल्द निष्पक्ष एवं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न हों, इन सबके लिए आपके सार्थक सुझावों एवं सहयोग की मुझे अपेक्षा है, आपसे निवेदन है कि आप अपने सुझाव यदि कोई हों तो जल्द से जल्द लिखकर अपमा कार्यालय में भेजने का कष्ट करें जिनसे मुझे चुनाव कराने में और अधिक बल मिलेगा। मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि मुझे इस बार भी आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपको चुनाव की विस्तृत जानकारी प्रदान करूँ।

आप सभी के ध्यानार्थ है कि हमारी संस्था के संविधान में जो सदस्य है, वह फर्म होती है, और हर फर्म को दो नोमीनी नियुक्त करने का अधिकार है, अतः आप सभी से निवेदन है कि यदि किसी सदस्य को अपनी फर्म के नोमीनी के नाम की जांच करनी हो, तो वह अपमा कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर 2 बजे से 5 बजे के मध्य कर सकता है तथा यदि किसी भी व्यापारी भाई को अपनी फर्म का नोमीनी बदलवाना (Change) हो ता 5 सितम्बर 2018 तक आवेदन कर सकता है, जिसका निर्णय उचित दस्तावेजों के निरीक्षण के पश्चात् ही लिया जायेगा। जो व्यापारी भाई अपमा के आजीवन सदस्य नहीं है, उन व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि वे अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क यदि उन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाया है तो 10 अगस्त 2018 तक अवश्य जमा करवा दें अन्यथा उन्हें अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपमा चुनाव 2018-2020 सम्पन्न करवाने में आप सब मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें।

(शंकरलाल अग्रवाल)

अपमा चुनाव आयुक्त

सत्र 2018-2020